आदेश

15.05.2018

आज पत्रावली अटल सेवा केन्द्र मारूडी पर पेश हुई। प्रार्थीनी सरपंच ग्राम पंचायत मारूडी उपस्थित। पैरोकार सरकार तहसीलदार बाड़मेर उपस्थित। प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम तनसिंहपुरा की आबादी भूमि हेतु जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 26.04.2006 के द्वारा खसरा न. 192/26 रकबा 5.00 बीघा भूमि आंवटन की गयी थी। उक्त आदेश की पालना में राजस्व अभिलेख में आंवटित भूमि की तरमीम प्रस्तावित आबादी भूमि के स्थान पर नही कर अन्यत्र की गयी है। उक्त भूमि आबादी बसाने योग्य नही है। प्रार्थीनी ने आबादी हेतु आंवटित भूमि की तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया है।

आवेदन पंजीयन कर तहसीलदार बाड़मेर को मौके की स्थिति अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए। तहसीलदार बाड़मेर ने अपने पत्रांक – भू.अ./रा.लो.अ./2018/366 दिनांक 15.05.2018 द्वारा मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए ग्राम पंचायत मारूडी को ग्राम तनसिंहपुरा में खसरा न. 192/26 रकबा 5.00 बीघा गैर मुमकिन आबादी भूमि की तरमीम संलग्न नक्शा में बरंग हरा से दर्शाये अनुसार संशोधन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उक्त प्रस्ताव से संरपच ग्राम पंचायत मारूडी सहमत है। अतः तहसीलदार बाड़मेर के प्रस्तावानुसार ग्राम तनसिंहपुरा में स्थित खसरा न. 192/26 रकबा 05.00 बीघा गैर मुमकिन आबादी की तरमीम प्रस्तावित नक्शा में बंरग हरा से

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दर्शाये अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाड़मेर आदेशानुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम संशोधन कर पालना सुनिश्चित करावें।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner